न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— कन्हैयालाल सोनगरा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 1/2020
जी.सी.एम.एस. :— 2020/00001

ओमप्रकाश पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी कुम्भगढ़ ढ़ाणी खेत चक 11 पी.एच.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

......अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व) सूरतगढ़।

.......रेस्पो.

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू.राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :—

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज. तहसीलदार(राजस्व) सूरतगढ़

— : : निर्णय : : —

दिनांकः—29.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अपीलांट ने अदालत में अपील प्रस्तुत करके निवेदन किया हैं कि अपीलांट को रोही कुम्भगढ़ के खसरा नम्बर 50 मी. में 22.16 बीघा रकबा आराजी काश्त पर सन् 1955 के बाद का आंवटन होकर कब्जा काश्त में चला आ रहा था। खसरो के समय ही इस रकबा में सिचांई सुविधा उपलब्ध होने से 12 बीघा रकबा कमांड हो गया व शेष 10.16 बीघा रकबा अनकमांड रहा व इसी अनुसार जमाबंदी व गिरदावरी में अंकन हो गया।

आराजी का त के रकबा को पुख्ता आवंटन करने का आदे ा आने पर आवंटन सलाहकार कमेटी के द्वारा जांच कर आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा उक्त आराजी काश्त के रकबा को जरिये मि.न. 7051/2007 के द्वारा दिनांक 06.09.2007 को पुख्ता आवंटन कर पट्टा जारी कर दिया गया व उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकन हो गया। अपीलांट आराजी काश्त पर आवंटन के समय से जहां पर कब्जा दिया गया था उसी स्थान पर आज तक काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं अपनी रिहायशी ढ़ाणी सिचांई बाबत ट्युबवैल, पीने के पानी की डिग्गी, पशुओं के [illegible] के लिए [illegible] व बाड़ा बनाया हुआ हैं व ढ़ाणी व ट्युबवैल पर बिजली का [illegible]शन [illegible]या हुआ हैं। खसरो का रकबा चकबंदी में आने पर अपीलांट का रकबा [illegible] कुम्भगढ़ के रकबा को खसरा नम्बर 161/50 बनाकर चक 11 पी.[illegible]म. के पत्थर नम्बर 22/[illegible] के किला नम्बर 16 ता 20, 22, 24, 25 कुल [illegible] बीघा व पत्थर नम्बर 22/[illegible] किला नम्बर 8, 11 ता 13, 18 ता 24 [illegible] 11 बीघा कुल 19 बीघा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:05:50 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला—श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

किया व 4 बीघा रकबा को चकबंदी से बाहर रख दिया गया। इस फिटिंग के बाद अपीलांट द्वारा अदालत मातहत तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष उजरदारी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर हल्का पटवारी ने बिना प्रार्थी/अपीलांट को सुने अपनी मर्जी से जो रकबा अपीलांट के कभी कब्जा में नहीं रहा वह फिट कर दिया जो अपीलांट के खेत से ही दूर पड़ता हैं, रिपोर्ट में यह स्पश्ट लिखा हैं कि प्रार्थी/अपीलांट की ढ़ाणी बनी हुई हैं, लाईट लगी हुई हैं, ट्युबवैल भी लाईट वाला हैं व ढ़ाणी व आंवटित खसरा के किला नम्बर 9 में बनी हुई हैं, रिपोर्ट में स्वीकार कर रहे हैं फिर भी बिना अपीलांट को सुने बिना मौका देखे अपने ही कयासों के आधार पर जैरअपील रकबा की गलत फिटिंग कर दी जिससे अपीलांट द्वारा कड़ी मेहनत व भारी खर्चा लगा कर सुधारा हुआ रकबा छोड़कर गलत रकबा की फिटिंग कर दी जिसे दुरूस्त करके चक 11 पी.एच.एम. कुम्भगढ़ के पत्थर नम्बर 22/46 का किला नम्बर 19, 20, 22 को अपीलांट के खाते से हटाया जाकर इसी पत्थर नम्बर के किला नम्बर 13, 14, 15 दर्ज किया जावे व इसी चक के अपीलांट के नाम पत्थर नम्बर 22/54 के किला नम्बर 9, 10, 14, 17 अपीलांट के पास हैं व किला नम्बर 9 में ढ़ाणी बनी हुई हैं, यह रकबा भी अपीलांट को आवंटनशुदा रकबा हैं व अन्य रकबा के बीच में पड़ता हैं व पहले टी.सी. पर आवंटन होकर बाद में पुख्ता आवंटन होकर जमाबंदी में दर्ज होकर कब्जा काश्त में चला आ रहा हैं। अपीलांट का कोई रकबा चकबंदी से बाहर नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर सही फिटिंग की जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत से रिकार्ड तलब किया गया व पैरोकार राज को भी जरिये नोटिस सूचना दिये जाने पर हाजिर अदालत आने पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाशक ने अपील मीमो में ही दर्ज तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि 50 वर्शो से जिस स्थान पर टी.सी. पर रकबा आंवटन होकर पुख्ता आवंटन किया गया था वही आज तक कब्जा काश्त में चला आ रहा हैं। टी.सी. आवंटन के समय कब्जा का त की जांच करके ही टी.सी. पट्टा नवीनीकरण किया जाता था व पुख्ता आवंटन के समय भी खसरे के कब्जा काश्त की रिपोर्ट स्वंय पटवारी व तहसीलदार के द्वारा करने पर ही रकबा पुख्ता आवंटन किया गया था। अपीलांट व उसके परिवार ने कड़ी मेहनत करके व भारी खर्चा लगाकर झाड़ झखाड़ निकालकर उबड़ खाबड़ भूमि को समतल करके उपजाऊ बनाया हैं। रिहायशी ढ़ाणीयां बनी हैं, पक्की डिग्गी, ट्युबवैल लगे हुए बिजली के कनेक्शन है। विद्वान अभिभाषक की यह भी बहस हैं कि अलोटी को कब्जा देते समय किसी खसरे से रकबा बाहर भी हैं तो राज्य सरकार के आदेश हैं कि एक ही किस्म की भूमि होने पर उतनी ही भूमि का कब्जा रखते हुए वर्षो से काश्तकार जहां पुराने समय से काश्त कर रहा हैं वहीं रकबा फिट कर दिया जावे व निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान पैरोकार राज ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि पूर्व में जो फिटिंग की गई ... गई थी व अपीलांट की अपील में कानूनी बल नहीं होने ... रस्त फरमायी जावे।

दोनो पक्षकारा ... निर्णय गुण व दोष के आधार पर करने से पहले मियाद ... पर निर्णय किया जाना आवश्यक हैं। अपीलांट ने जैरअपील निर्णय अदालत मातहत दिनांक 08.08.2018 की जानकारी दिनांक 21.10.2019 को अदालत में आकर उजरदारी बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:05:50 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला ...
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

जानकारी चाही तो उसी दिन पता चला कि उजरदारी का निर्णय तो दिनांक 08.08.2018 को खारिजी के रूप में कर दिया गया हैं फिर फैंसला की नकल प्राप्त करके जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई, देरी को माफ किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र धारा 5 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसका खंडन रेस्पो. ने काउन्टर भापथ पत्र देकर नहीं किया हैं व अदालत मातहत की निर्णित पत्रावली का अध्ययन किया गया जिसमें भी अपीलांट की गैर हाजरी में निर्णय पारित किया गया हैं। अपीलांट ग्रामीण क्षेत्र का अनपढ़ का तकार हैं इसलिए प्रार्थी/अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए देरी को कन्डोन कर अपील समय सीमा में शुमार की जाकर अपील का निर्णय गुण व दोष के आधार पर किया जाना कानून सम्मत हैं।

पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया गया। पत्रावली में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का भी ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया व चकबंदी व किला फिटिंग के नियमों का भी सम्मानपूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्यों का पठन किये जाने से जाहिर होता हैं कि अपीलांट को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया जो दिया जाना उचित था।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अदालत मातहत तहसीलदार सूरतगढ़ का आदेश दिनांक 08.08.2018 पत्रावली संख्या 3/2018 अनवान ओमप्रकाश बनाम सरकार निरस्त किया जाता हैं व पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमांड की जाती हैं कि उभय पक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र पर फिर से कानून सम्मत निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अदालत मातहत का रिकार्ड मय निर्णय प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक २१.07.2024 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सुनाया गया।

(कन्हैयालाल सोनगरा)
अतिरिक्त कलक्टर,
सूरतगढ़।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.08.06 17:05:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner